प्रकरण संख्या 90/2022 भंवरलाल बनाम राजू व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.07.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नवानिया, तहसील वल्लभनगर में आराजी नंबर 749, 927/1मी., 2442/1 कुल किता 3 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कमल संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष किशना जी थे, जिनके एक पुत्र भंवरलाल प्रतिवादी संख्या 1 व तीन पुत्रियां दाखी बाई, मांगी बाई व लेहरी बाई हुई, जिसमें से लेहरी बाई की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिस दिनेश व महेश हैं। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल के पुत्र व पत्नी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 नशे का आदी होकर भूमि खुर्द बुर्द करने पर आमादा है तथा रिहायशी मकान से बेदखली करने की धमकी देता है। अतः विवादित आराजियात में वादीगण को 1/20 196/2980 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.06.2015 को वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.12.2023 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 10 बावजूद अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार ओस्तवाल उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.11.2022 को तब हुई वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लड़ाई–झगड़ा करने लगे तथा बताया कि उनके पक्ष में निर्णय हो चुका है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:45:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.2015 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.05.2015 नियत की गयी तथा दिनांक 26.05.2015 को उक्त प्रकरण वास्ते तलबी दिनांक 11.08.2015 नियत किया गया, किन्तु इससे पूर्व ही अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 को बिना सूचना दिये एवं बिना सुने निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार दिनांक 17.03.2015 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.05.2015 नियत की गयी तथा दिनांक 26.05.2015 को उक्त प्रकरण वास्ते तलबी दिनांक 11.08.2015 नियत किया गया, किन्तु इससे पूर्व ही प्रतिवादीगण को बिना सूचना दिये एवं बिना सुने प्रकरण दिनांक 17.06.2015 को राजस्व कैम्प में रखकर वादीगण का वाद डिक्री कर दिया, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 20/2015 निर्णय एवं डिक्री 17.06.2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.09.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 04.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

(प्रदीप सिंह सांगावत)
अधिनस्थ अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:45:30 IST
Reason: SelfAttested